भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5883

सोमवार, 30 मार्च, 2026/09 चैत्र, 1948 (शक)

निजी नियोजन एजेंसियों के विनियमन हेतु उपाय

†5883. श्री श्रीभरत मतुकुमिल्ली:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास निजी नियोजन एजेंसियों द्वारा की जाने वाली शोषणकारी प्रथाओं, जैसे कि मूल प्रमाणपत्रों को जब्त करना, फर्जी अनुभव या सत्यापन दस्तावेजों की बिक्री, प्रॉक्सी साक्षात्कार या शुल्क और प्लेसमेंट प्रतिबद्धताओं में पारदर्शिता की कमी आदि के बारे में, नौकरी चाहने वालों से प्राप्त शिकायतों/परिवाद की संख्या के संबंध में कोई आंकड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा उक्त विशिष्ट श्रेणियों की शिकायतों का पर्याप्त रूप से समाधान करने के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) निजी नियोजन एजेंसी (विनियमन) विधेयक, 2025 की वर्तमान स्थिति और इसे पुरःस्थापन किए जाने की संभावित समय-सीमा का क्या है;

(घ) विधायी-पूर्व परामर्श नीति के अंतर्गत हितधारकों के साथ किए गए परामर्श का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग एप्लिकेशन जैसे अनौपचारिक डिजिटल चैनलों के माध्यम से संचालित होने वाली निजी नियोजन एजेंसियों को विनियमित करने के उपायों का प्रस्ताव किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ(: नियोजन एजेंसियों के विनियमन/प्रत्यावर्तन से संबंधित मामला, संबंधित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों को निजी नियोजन एजेंसियों के पंजीकरण सहित उनके कामकाज को विनियमित करने की सलाह दी गई है। ऐसी एजेंसियों से संबंधित शिकायतों का निपटान, संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा बीएनएस या अन्य प्रचलित अधिनियमों के प्रावधानों के तहत किया जाता है, जिनके तहत ये प्रतिष्ठान पंजीकृत हैं। निजी नियोजन एजेंसियों से संबंधित मुद्दों पर समय-समय पर समितियां गठित की गई हैं और मंत्रालय ने राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों को निजी नियोजन एजेंसियों के संचालन को विनियमित करके कामगारों के हितों की रक्षा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने की सलाह जारी की है।

जारी/2–

सरकार ने श्रमिकों की शिकायतों के निवारण के लिए कई प्लेटफार्म स्थापित किए हैं। इनमें समाधान पोर्टल, ई-श्रम शिकायत प्रबंधन प्रणाली (टोल-फ्री नंबर 14434), रोजगार के अवसरों के लिए नेशनल करियर सर्विस (एनसीएस), कौशल विकास के लिए स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच) और केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम्स) शामिल हैं। इन प्लेटफार्म का उद्देश्य देशभर के कामगारों द्वारा उठाई गई शिकायतों का समय पर और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है।

निजी नियोजन एजेंसी (पीपीए) (विनियमन) विधेयक, 2025 का मसौदा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार किया गया है। हितधारकों से परामर्श हेतु इस विधेयक को सार्वजनिक रूप में उलब्ध कराया गया है। निजी नियोजन एजेंसी विनियमन विधेयक का उद्देश्य पारदर्शी और जवाबदेह भर्ती प्रक्रियाएं सुनिश्चित करने के लिए सभी निजी नियोजन एजेंसियों को विनियमित और पंजीकृत करना है। इसका उद्देश्य, रोजगार चाहने वालों को शोषण, धोखाधड़ी और असुरक्षित नियोजन से बचाना है। यह विधेयक, निष्पक्ष और नैतिक रोजगार प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए स्पष्ट परिचालन मानक और निगरानी तंत्र भी स्थापित करता है।
